जिला– सहरसा

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा

–सह–

विशेष न्यायाधीश,सहरसा

सत्रवाद संख्या–161/2005

1663/2014

1. राज्य (द्वारा) घुरन महतो.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. गजेन्द्र यादव पिता–स्व.मनेजर यादव उम्र करीब 60 वर्ष
साकिन–धकजरी, थाना– सोनवर्षा कचहरी
जिला–सहरसा.....अभियुक्त

वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–

घटना की तिथि	15.02.2005	
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	15.02.2005	धारा–147,148,149,341,342,323, 337,332,353,307,452 भा.द.वि. एवं धारा–27आर्म्स एक्ट तथा 135(क)लोक प्रतिनिधित्व अधि.
आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने की तिथि	75/05 16.5.05	धारा–147,148,149,341,323,332, 337,452,353,307,भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा धारा–3(x)एस.सी./एस.टी. अधि.एवं135 ए.एक्ट
संज्ञान लेने की तिथि	21.05.2005	धारा–147,148,149,341,323,332,337, 452,353,307 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 3(x)एस.सी. /एस.टी.एवं 135(a) लोक प्रतिनिधित्व अधि.
आरोप गठन की तिथि	23.07.2005	धारा–147,353,341,323,337,307भा.द.वि. एवं 3(i)(x)एस.सी./एस.टी.अधि
की तिथि		
अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	21.02.2026	
धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	03.02.2026	
सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	03.02.2026	
सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि	03.0.2026	
बहस प्रारंभ होने की तिथि	23.02.2026	
बहस बंद करने की तिथि	25.02.2026	
निर्णय की तिथि	12.03.2026	
सजा पारित करने की तिथिः–	17.03.2026	
अभियोजन की ओर से :–	श्री अमरेंद्र कुमार विद्वान विशेष लोक अभियेाजक	
बचाव पक्ष की ओर से :–	श्री संजय कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता	

सहरसा,दिनांक–12.03.2026

उपस्थितः– रंजुला भारती,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा।

निर्णय

1. इस आपराधिक वाद के एकमात्र अभियुक्त गजेंद्र यादव के विरूद्ध धारा–147,353,341,323,337,307भा.द.वि. एवं 3(i)(x)एस.सी./एस.टी.अधि के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश यह है कि इस वाद के सूचक घूरन महतो तिमिता लेखा लिपिक जाक निस्ससरण प्रमंडल कोपरिया दिनांक–15.02.2005 को होने वाले विधान सभा चूनाव में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त था, तथा उसके साथ विन्देश्वरी प्रसाद यादव, प्रथम मतदान पदाधिकारी, विलास पासवान द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं सफीक अंसारी, तृतीय मतदान अधिकारी भी प्रतिनियुक्त थे तथा स्टेटिक बल भोजपुर जिला बल हवलदार सुरेंद्र सिंह, आ0 786, महेंद्र पासवान आ.68, भीम प्रसाद आरक्षी–47, केदार नाथ सिंह (सशस्त्र बल) तथा स्थानीय चौकीदार 2/7 मनोज तांती मतदान केंद्र सुरक्षा कार्य संचालन हेतु तैनात थे। उक्त मतदान केंद्र के बाहर अनेक लोग इस प्रयास में थे कि बोगस मतदान किया जाय तथा पोलिंग एजेंट अनिल कुमार यादव मतदान केंद्र से उठकर बाहर जाता था तथा मतदाताओं को इकट्ठा करके मतदान के लिए ले आता था। उसे ऐसा करने के लिए बार–बार मना भी किया जाता था और वे बुथ के बाहर खड़े होकर एकजूट से कुछ देर बात करके फिर बूथ पर बैठता था । बुथ से उठकर आने–जाने का उसका यह कार्य लगातार जारी रहा। इस बीच सूचक द्वारा अनेक लोगों को बोगस मतदान करने से रोका गया लेकिन पर्याप्त बल नहीं रहने के कारण बोगस मतदान कराने की कार्रवाई कर सख्त कार्रवाई नहीं संभव हो सका। मतदान आरंभ होने के बाद दिन के करीब 11.00 बजे जोनल दंडाधिकारी राजेश कुमार बी.ओ.के.कहरा मतदान केंद्र पर आए और उस समय पोल की स्थिति जानते हुए दिशा निर्देश दिए कि जानकारी मिली कि वहां बूथ पर दलित एवं अन्य कमजोर वर्ग के मतदातओं को बुथ से कुछ दूर पर जबर्दस्ती रोका जा रहा है, और वे मतदान करने की हिम्मत नहीं जुटा रह है। वी.डी.ओ.साहब को इस बात की सूचना दी कि यहां स्थिति ठीक नहीं है और कुछ लोग एकपक्षीय मतदान कराने के फिराक में है और ऐसा नहीं करने पर बुथ पर हमला भी कर सकते है। इस सूचना पर बी. डी.ओ.साहब हमलोगों को सावधानी पूर्वक निष्पक्ष मतदान कार्य कराने का निर्देश देकर दूसरे बूथ के लिए प्रस्थान कर गए । जब मतदान केंद्र से प्रस्थान कर गए तो करीब 12.00 बजे गश्ती दल के दंडाधिकारी भी अपने साथ पुलिस पाटी को लेकर आए और लगभग 45 मिनट तक बूथ पर रहे तब तक शांतिपूर्ण मतदान चलता रहा। जब गश्ती दल के दंडाधिकारी बूथ से प्रस्थान किए तब लगभग 12.45 बजे उक्त गुट में से दो लड़के जिनका उम्र करीब 25–26 वर्ष होगा जो चौकीदार मनोज तांती को जबर्दस्ती पकड़कर ले गए और मारपीट गाली–गलौज करने लगे और कहे कि यही उपर वाले को सूचना देता हैं इसी के खबर करने पर पुलिस पार्टी आई थी। उसके बाद उनलोगों ने उसे स्कूल के बरामदे पर ही

जबर्दस्ती बैठाकर बंधक बना दिया जिससे वह कहीं जा नहीं सकें उस गुट के कई लोग बूथ पर चढ गए और ई.भी.एम.मशीन को हाथ लगाने की कोशिश की। मतदान केंद्र पर वहां उपस्थित पुलिस दंडाधिकारी द्वारा उन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की और किसी तरह चौकीदार को उनलोगों के कब्जे से छुड़ाया। इसके कुछ देर बाद पेट्रोलिंग पार्टी दूसरे बूथ के लिए प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही उस गुट के लोगों ने फिर से मतदान कार्य में बाधा पहुंचाते हुए बोगस मतदान करने की कोशिश करने लगे और दबाव डालने लगे। हमारे द्वारा बार–बार उनको रोका गया। मतदान के लिए बोगस लोगों को लाए जाने पर मैंने कई बार मतदान कार्य रोक भी दिया गया, जिससे की बोगस मतदान नहीं हो सके। इसी घटना क्रम के बीच लगभग 2.30 बजे जोनल दंडाधिकारी राजेश कुमार थाना प्रभारी सोनवर्षा कचहरी सशस्त्र बल के साथ मतदान केंद्र पर आए तब सूचक ने जोनल दण्डाधिकारी को इस संबंध मे जानकारी दिया। जोनल दण्डाधिकारी के आने के बाद उस गुट के लोग धीरे–धीरे इधर उधर खिसक गए तथा जोनल दण्डाधिकारी ने यहां की स्थिति को नियंत्रित करते हुए आसपास के लोगों को यह कहा कि जिन लोगों को वोट देना है लाइन लगाकर वोट दें। इसके बाद लोग लाईन लगाकर शांतिपूर्ण मतदान कर रहे थे। उसी के बाद सेक्टर दण्डाधिकारी, शंभू प्रसाद राय, जिला मतस्य पदाधिकारी,सहरसा पुलिस बल के साथ बूथ पर पहुंचे। उन दोनों पदाधिकारियों की उपस्थिति में उसी गुट के द्वारा काफी महिलाओं को ले आया गया जिनके मतदान पहचान पत्र की चेकिंग के दौरान जोनल दण्डाधिकारी ने एक महिला से उसका कार्ड चेकिंग के लिए मांगा जिसपर उसने एक लाल कार्ड उनके हाथ में दे दिया और धीरे से वहां से खिसक गई। जोनल दण्डाधिकारी के द्वारा चेक करने पर लाल कार्ड मे ंनाम बिन्देश्वरी यादव लिखा हुआ पाया गया जिसे महिला मतदाता के द्वारा मतदान देने के लिए प्रयोग करने की कोशिश की गई। जोनल दण्डाधिकारी ने उक्त लाल कार्ड को अपने पास रख लिया। इस प्रकार जब बोगस मतदान कराने वाले गुट ने देखा कि बोगस मतदान को रोका जा रहा है, तब उनलोगों ने जोनल दण्डाधिकारी और पुलिस बल को गाली देना शुरू किया। उनलोगों में से कुछ लोग यह चिल्ला रहे थे कि साला हमलोगों को वोट नहीं डालने दे रहा है इनलोगो को मारना भी है और वोट मशीन भी ले लेना है। ये लोग साला होमगार्ड है। हमलोगों का क्या करेगा। वहां उपस्थित पुलिस पदा0 द्वारा उन गाली देने वालों लोगों को चेतावनी देते हुए ऐसा करने से मना किया गया तब उनमें से 4–5 लोगों ने उक्त पुलिस पदाधिकारी के नजदीक पहुंच गए और उनके साथ हाथा पाई करने लगे। इस प्रकार बढ़ते तनाव को देखते हुए बूथ पर के सभी पोलिंग एजेंट बूथ पर से हटकर भीड़ में शामिल हो गए। हाथापाई करने वालो में से एक झपट कर उनका सर्विस रिवाल्वर खींच लिया किंतु पुलिस पदाधिकारी फिर से उक्त रिवाल्वर उनसे तेजी से छीनकर उनसे दूर हट गए। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि उसे मैं पहचानता हूं। क्योंकि ये अपने भाई के विरूद्ध जारी वारंट का रिकौल जमा करने के लिए थाना पर आया था जिसका नाम गजेंद्र यादव है। उसका भाई सोनवर्षा कचहरी थाना कांड संख्या–346/04 के अभियुक्त है। इसके बाद मतदान केंद्र के उत्तर पूरब और दक्षिण से जत्था बनाकर भीड़ ईट,पत्थर का निशाना बनाकर हमलोगों पर हमला कर दिया। उपद्रवियों द्वारा हमलोगों पर ईंट, पत्थर के टुकड़े निशाना बना करके तेजी से मारा जा रहा था। स्थिति पूरी तरह अशांत हो गयी थी तथा पुलिस पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी आदि सभी उक्त ईट, पत्थर से बचते हुए उनलोगों को चेतावनी देने लगे कि आपका मजमा नाजायज है। आप सभी लोग तितर–बितर हो जाये नहीं

तो जबाव में बल प्रयोग किया जाएगा इस हमले से गृह रक्षक डोमी साह, आरक्षी–68 भीम प्रसाद, गृह रक्षक गजेद्र प्रसाद यादव चौकीदार, मनोज तांती एवं थाना प्रभारी सोनवर्षा कचहरी जख्मी हो गए। वहां उपस्थित पुलिस बल और दंडाधिकारी ने उस भीड़ को सुझबूझ से कार्य लेते हुए खदेड़ दिया। जब जोनल दण्डाधिकारी ने देखा कि बल प्रयोग की चेतावनी देने के बाद भी वे हमलावर, और उग्र हो गए और ईंट पत्थर के हमले के अलावा गोली भी चलाना शुरू की तब पुलिस पार्टी और हमलोगों ने मतदान केंद्र के पक्के भवन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोजिसन ले लिया और जोनल दण्डाधिकारी ने चिल्लाकर उंची आवाज में कहा कि आपलोगों ने जो कर रहे है गैर कानूनी है। इसी बीच उहोंने गृह रक्षकों और आरक्षियों को आवश्यकता पड़ने पर फायरिंग हेतु तैयार रहने का आदेश दिया। इसके बावजूद जत्थे में जूटे लोगों ने अगल–बगल गेहूं, सरसो के पौधा का आड़ लेकर पुलिस बल और हमलोगों पर हमला विभिन्न दिशा से जारी रखा तब जोनल दंडाधिकारी ने हम सभी सरकारी कर्मियों के जान बचाने के उद्देश्य से ई.भी.एम.मशीन और चूनाव संबंधी अभिलेख को सुरक्षित रखने तथा उक्त गैर कूननी मजमा को तितर–बीतर करने के लिए मतदान केंद्र पर उपस्थित बल को बाहर विभिन्न दिशा में मोर्चा संभालते हुए 04 आरक्षी चार गृह रक्षक को तथा थाना प्रभारी सोनवर्षा कचहरी को क्रमशः उक्त गैर कानुनी मजमा को तितर–बितर करने और रक्षार्थ तथा सरकारी संपति लूटे जाने से बचाने के लक्ष्य से क्रमशः गोलिया चलाने को लिखित आदेश दिया जिसका विवरणी उनके आदेश में देखा जा सकता है। उक्त मुठभेड़ लगभग सवा घंटा तक बीच–बीच में रूक–रूक कर होती रही। सूचक पक्ष पर प्राणघातक हमला किया जाता रहा। बीच–बीच में जोनल दण्डाधिकारी ने हमलावरों से सभी पुलिस पार्टी का जान खतरे में देखते हुए सबों को हमलावरों से घिरे रहने की स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष में संदेश भेजा गया कि पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र बल और गाड़ी भेजा जाय। उक्त मूठभेड़ से भयभीत होकर शुरू से ही सेक्टर दण्डाधिकारी को गाड़ी की चालक घटनास्थल से भाग गए थे। पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग के बाद गैर कानूनी मजमा के लोग सामने से हट गए थे और आसपास के खेतों में अनेक लोग पोजिसन लेकर रूक–रूककर फायरिंग करते रहे। इसी बीच जिला मुख्यालय से सशस्त्र बल और पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर 5.30 बजे पहुचे। उक्त बल पहुंचने के समय तक वे आसपास के खेतों में मोर्चा संभाले हुए थे और सपोटिंग पुलिस पार्टी को देखकर खेतों से होकर भाग गए उनलोगों के भाग जाने के बाद घटनास्थल पर आए पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल के आसपास के खेतों का मुआयना किया गया तथा मतदान केंद्र के पश्चिम की तरफ एक व्यक्ति का लाश गेहूं की खेत में पाया गया जिसे स्थानीय चौकीदार मनोज तांती ने सियाराम यादव धकजरी थाना सोनवर्षा कचहरी के रूप में पहचाना गया। यह भी पता चला कि एक व्यक्ति और घायल हुआ है जिसे गांव के ही लोग अस्पताल ले गए हैं। उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

3. उपरोक्त आशय का सूचक के फर्दब्यान के आधार पर सदर सहरसा थाना कांड संख्या–66/2005 अंतर्गत धारा–147,148,149,341,342,323,337,332,353, 307,452 भा.द.वि. तथा 27 आर्म्स एक्ट तथा 135(क) लोक प्रतिनिधित्व अधि. के अंतर्गत नामजद अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्त गजेंद्र यादव के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–75/05 दिनांक–14.05.2005 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–21.5.2005 को धारा–147,148,149,341,323,332,337,452,353,307, भा.द.वि. एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट तथा 3(x) अनु.जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधि.एवं 135 (a) लोक प्रतिनिधित्व अधि. के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए वाद दौरा सुपूर्दगी किया गया।

5. दिनांक–23.07.2005 को उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा–147,353, 341,323,337,307 भा.द.वि. एवं धारा–3(i)(x) अनु.जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधि. के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पश्चात अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया है। साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात दिनांक–03.02.2026 को अभियुक्त का बयान धारा–313 द.प्र.स.के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्त का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

7. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से कुल 08 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी सं.–1.महेश्वरी राम 2. घूरन महतो तिमिर 3. मनोज तांती 4. राजेंद्र साह, 5. गजेंद्र प्रसाद यादव, 6. डोमी साह, 7. देव नारायण राम, 8. मो. ओहाब का परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित कागजात प्रदर्श अंकित कराया गया है।

सूचक द्वारा लिखा गया प्राथमिकी प्रदर्श–1 अंकित किया गया है।

8. अभियोजन साक्षीं सं.–1. महेश्वरी राम है, इनका परीक्षण दिनांक–27.05.2005 को हुआ है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना के विषय में नहीं जानता हूं। पुलिस में बयान नहीं हुआ था।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि पुलिस को नहीं कहा था कि हरिजन प्राथमिकी विद्यालय का वोटर था तथा मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट अनील यादव तथा सियाराम यादव बगैरह हरिजनों को डराकर मतदान नहीं करने देते थे तथा चुनावकर्मी के समझाने के बाद भी नहीं माना। मनोज तांती को पकड़ लिए तथा पुलिस बल से उलझ गये तथा पुलिस का राइफल तथा रिवाल्वर भी बड़ा बाबु का छिन लिये। इसपर पुलिस भी गोली चलायी जिससे सियाराम यादव एवं अनील की मृत्यु हो गयी। ऐसी बात नहीं है कि मुदालह केस में झूठी गवाही दे रहा है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या–2. घुरन महतो तिमिर जो कि इस केस के सूचक भी हैं। इनका परीक्षण दिनांक–06.03.2006 को हुआ है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक–15.02.2005 को मैं 131 मतदान केंद्र में मुझे पदस्थापित किया गया था। विधानसभा का चुनाव था। मेरा पदस्थापन पीठासीन पदाधिकारी के रूप में हुआ था। मेरे साथ बिन्देश्वरी प्रसाद यादव प्रथम मतदान पदाधिकारी विलास पासवान, द्वितीय मतदान पदाधिकारी तथा तृतीय शरीफ अंसारी मतदान पदाधिकारी थे । पुलिस भोजपुर जिला बल की थी जिसमें सुरेंद्र सिंह, भीम प्रसाद, महेंद्र आदि थे। अनील कुमार यादव लोगों को जमा करके लाता था। रूक–2 करके मतदान हो रहा था। 11 बजे दिन जोनल मजिस्ट्रेट आये जो

राजेश कुमार थे वह प्रखण्ड पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ थे। उन्हें पता चला था कि दलित एवं कमजोर वर्ग को वोट देने से रोका जा रहा है। वह थोड़ी देर बैठे उसके बाद तथा दूसरे बुथ पर चले गए। उसी बीच में मनोज तांती चौकीदार को मारपीट किया और बंधक बना लिया इसकी सूचना उपर दी गयी तब पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट भी आये। वह मनोज तांती को छोड़ा दिये तथा दूसरे बुथ के लिए चले गए। उसके बाद ई.भी.एम.मशीन से छेड़छाड़ करने लगे। तीन बजे के लगभग पुनः जोनल मजिस्ट्रेट पहुंचे गये तथा स्थिति की जानकारी दिये। वह वही बैठ गये। उसके बाद कोई मतदान देने नहीं आना चाहता था। आठ–10 औरते को लाईन में लगा दिया। बी.डी.ओ. साहब एक औरत से लाल कार्ड ले लिये जो लाल कार्ड बिन्देश्वरी यादव बल्द मंगल यादव ग्राम दिवारी का था, उसके बाद औरतें भाग गई। भागते ही थाना प्रभारी से गामीण में चार–5 लड़का हाथापाई करके रिवाल्वर उनका छीन लिए। उसी समय गाली–गलौज तथा रोड़ाबाजी करने लगा। रोड़ाबाजी से ढोमी साह, भीम प्रसाद, मनोज तांती, थाना प्रभारी एवं गजेंद्र तांती, को चोट लगी। मजिस्ट्रेट भी वहीं थे। रोड़ाबाजी बंद हुआ। दोनों तरफ से गोली चलने लगी। उसके बाद सहरसा को खबर की गई तथा पुलिस बल आई तो खेत से एक लाश सियाराम यादव का मिला। गजेंद्र यादव रिवाल्वर छिना था। उसको देखकर पहचान सकता हूं। यह मेरा लिखा हुआ तथा मेरा हस्ताक्षर है। लिखित प्रतिवेदन प्रदर्श–1 अंकित करें। अभी मैं बीरपुर में पदस्थापित हूं।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि राजेश कुमार जोनल मजिस्ट्रेट का उस समय पदस्थापन कहरा ब्लौक में था। यह मतदान केंद्र भी उसी ब्लॉक में पड़ता था। दिवारी गांव भी कहरा ब्लॉक मे है । उन्हें दूरभाष से मालुम हुआ था। उन्हें लिखित जानकारी मिली थी या नहीं, कह नहीं सकते हैं। किसने उनको सूचना दिया, यह नहीं बता सकता हूं। मनोज तांती ने लिखित नहीं दिया वह मेरे सामने की घटना है। मतदान केंद्र पर आर्म फोर्स था। घटना के समय भी आर्म फोर्स था। बाद में ढाई–तीन बजे जोनल मजिस्ट्रेट आये। तीन बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट आये थे। लाल कार्ड लेने का कोई जप्ती सूची बनाया या नहीं, कुछ नहीं कह सकता हूं। रोड़ाबाजी 100 मीटर बाहर से हो रही थी। हमलोग बरामदा में थे। फोर्स को चोट लगी थी। थाना प्रभारी को चोट लगी थी। सिर पर लगा था। दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। पुलिस बल या मतदान कर्मी को गोली नहीं लगी थी। सहरसा से पुलिस गई थी तो ग्रामीण भाग चुके थे। ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह की घटना कहा है वैसी कोई घटना नहीं घटी थी तथा बगैर किसी कारण से पुलिस ने मतदान केंद्र पर गोली चलाया जिससे दो ग्रामीणों की मृत्यु हो गई तथा उसी घटना का दोष छुपाने के लिए गलत केस करवाया गया है। बीरपुर में मेरा घर है। गजेंद्र यादव से कोई व्यक्तिगत जान पहचान नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मैने गलत बयान दिया है।

10. अभियोजन साक्षी सं.–3. मनोज तांती है। इनका परीक्षण दिनांक–04.12.2006 को हुआ है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 15.2.2005 को मेरी ड्युंटी हरिजन प्राथमिकी विद्यालय, धकजरी, बुथ नं.131 पर थ। विधानसभा का चुनाव था। वहां पर पार्टी का एजेंट अनील यादव था। पोलिंग आठ बजे शुरू हुआ। उसके बाद अनील यादव पार्टी को बुलाकर बोगस वोट करवा रहा था। हमलोग रोकथाम किये। मेरे साथ अनील यादव तथा गजेंद्र यादव लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट किया। उसको शक हुआ था कि पुलिस को बुलवाता है। उसके बाद वह सब गेहूं खेत॑ जाकर ईटा, पत्थर फेंकने लगा, मुझे भी कमर में

चोट लगा था। गोली फायरिंग भी वहां से किया। बी.डी.ओ.साहब वहां आये। बी.डी.ओ.साहब को भी चोट लगी तो वह वायरलेस मैसेज किया तथा गोली चलाने का आदेश दिये। पुलिस पार्टी आई उसके बाद मुदालह भागने लगे। बदमाश को खोजने लगा तो गेहूं के खेत में एक लाश मिली जो सियाराम यादव का था। गजेंद्र यादव बड़ा बाबु का रिवाल्वर छीन लिया था। प्रयास के बाद मिला। मेरा ईलाज सहरसा सदर अस्पताल में हुआ था। अनील यादव भी अस्पताल में भर्ती था। जिसकी मृत्यु बाद में हो गयी थी। मुदालह में गजेंद्र यादव को पहचानने का दावा करता है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि डियुटी का कमान मिला था। थाना से मिला था। वहां यही एक बुथ था। विद्यालय में तीन रूम था। मेरा घर धकजरी है। अनील यादव एवं गजेंद्र यादव मेरे ग्रामीण हैं, रामेश्वर तिवारी, थाना प्रभारी थे। यह नहीं मालुम है कि अनील यादव किस पार्टी का एजेंट था। अन्य एजेंट भी वहां दूसरे पार्टी के थे। इन्द्र यादव भी एजेंट था। अन्य का नाम नहीं जानता हूं। लाईन में लगकर वोट नहीं देने आ रहे थे। पुलिस पदाधिकारी वहां तीन–चार थे। बड़ा बाबु बाद में आये थे। पहली बार वोट शुरू हुआ था तो आये थे। वोट गिरना शुरू था। लाईन में लगाने का काम पुलिस कर रही थी। एजेंट भी कार्ड चेक करता था। पोलिंग पार्टी भी चेक करता था। लाईन में हमलोग खड़ा कर रहे थे। जिसका पर्चा था उसी को लाईन में लगाते थे। आठ बजे 25 आदमी लाईन में वोट गिराने के लिए खड़े थे। गजेंद्र यादव वोटर है। सुबह से ही वहां था। उसी तरह घुम रहा था। बुथ पर नहीं आ रहा था। चार बजे वह बुथ पर आया। 12 बजे मुझे मारा। अनील यादव एवं गजेंद्र यादव ने मारा था। मारने के समय बड़ा बाबु यही थे। 15–20 मिनट बाद आये। फोर्स भी साथ में था। बड़ा बाबु का रिवाल्वर छीनने लगा। बी.डी.ओ. साहब भी आ गये थे। पब्लिक फाईरिंग करने लगा। पुलिस आसमानी फायर किया। कितना राउण्ड किया नहीं बता सकता हूं। फायरिंग के समय 7–8 पुलिस वहां गयी। बड़ा बाबु रिवाल्वर से फायर नहीं किये थे। स्कूल के उतर खेत, दखिन–खेत, पूर्व– मकान किसका है नहीं मालूम है। पश्चिम–रोड था। पब्लिक के फायरिंग के बाद आदमी भागने लगे। पुलिस 4 बजे फायरिंग की थी। सभी भाग गये। यह नहीं मालुम है कि पुलिस के फायरिंग से अनील तथा सियाराम की मृत्यु हो गयी थी जिसका नालसी 144–सी/05 लंबित है। ऐसी बात नहीं है कि कोई घटना नहीं घटी है तथा अनील कोई बोगस वोट नहीं करा रहा था फिर भी थाना प्रभारी ने गोली मार दिया।

अभियोजन साक्षी सं.–04 राजेंद्र साह हैं। इनका परीक्षण दिनांक–17.06.2009 को किया गया है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वर्ष 2005 की 6वीं तारीख की घटना है। विधान सभा चुनाव के लिए वोट पड़ रहा था। कहरा बी.डी.ओ. राजेश कुमार जोनल दंडाधिकारी थे। सोनवर्षा कचहरी के थाना प्रभारी साथ में थे। मैं भी होमगार्ड के साथ उनलोगों के साथ डयूटी पर था। धकजरी हरिजन प्राथमिक विद्यालय पर हमलोग गये। 314 के बुथ पर पता चला कि लोग वोट डाल रहे हैं। जोनल दण्डाधिकारी, राजेश्वर तिवारी था लेकिन रिवाल्वर भीड़ में से किसी ने छिन लिया। चालीस पैंतालीस लोग थे। भाड़े के लोगों ने रोड़ा पत्थर चलाना शुरू कर दिया एवं गोली चलाने लगा। जोनल दण्डाकारी ने हवाई फायर का आदेश दिया। सशस्त्र बल के लोगों को चोटे आई। मैं किसी अभियुक्तों को नाम से नहीं जानता हूं। चेहरा देखकर पहचान लूंगा। आज कोई उपस्थित नहीं है।

प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि दो लोग घटनास्थल पर मरे थे। नहीं जानता कि किसकी गोली से मरे थे। पुलिस पार्टी के किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई थी। मैंने दो गोली फायर किया था। मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। मैनें पुलिस को बयान दिया था। मैंने बयान में कहा था कि मैं किसी को नहीं पहचान सकता हूं।

अभियोजन साक्षी सं.05–गजेंद्र प्रसाद यादव(सूचक) हैं। इनका परीक्षण दिनांक–17.8.2009 को हुआ है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक–15.02.2005 को है। इस समय मैं गृहरक्षक था। मेरा नम्बर 4369 था। घटना तिथि को विधान सभा चुनाव का दिन था। मैंने तथा गृहरक्षक डोमी साव, राधे साव, मोहम्मद बोहाव के साथ तथा राजेश्वर तिवारी दरोगा के साथ बी.डी.ओ. कहरा के पेट्रोलिंग डयूटी में था। जब हम लोग दुधैला बूथ पर थे तो बहां वायरलेस से पता चला कि धकजरी, बूथ पर हो हल्ला हो रहा था। कुछ लोग गलत वोट डालना चाहते थे। हमलोग गए। बि.डी.ओ. और थाना प्रभारी ने हल्ला शांत करना चाहा पर बदमाशों ने दरोगा जी का सर्विस रिवाल्वर छीन लिया तथा रोड़ा चलाना शुरू किया। जिससे मैं तथा अन्य लोग जख्मी हो गए। हमलोगों का ईलाज हुआ। हल्ला करने वाले बदमाश को पहचान लूंगा। बदमाशों ने फायरिंग किया था। जोनल दण्डाधिकारी ने हमलोगों को भी हवाई फायरिंग कराने का आदेश दिया था।

प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा कि मैंने दरोगा को बयान दिया था जिसमें मैंने बताया था कि मुझे डोमी साव को तथा हवलदार को रोड़ा से चोट लगी थी तथा हमलोगों का ईलाज भी हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने बयान में किसी का नाम नहीं बताया था। मैंने किसी मुदालह का नाम दरोगा को नहीं बताया था।

अभियोजन साक्षी सं.–6 डोमी साव है। इनका परीक्षण दिनांक–17 जुलाई 2009 को किया गया। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मुझे घटना की तारीख याद नहीं है। घटना के दिन विधानसभा चुनाव में मेरी डयूटी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ थी। धकजरी बूथ पर पेट्रोलिंग पार्टी के साथ हंगामा शांत कराने गया था। बदमाशों ने दरोगा का रिवाल्वर छिन लिया। रोड़ा चलाया था। सिर मे जख्म हो गया था। मेरा ईलाज हुआ था। रोड़ा चलाने वाले बदमाश को देखकर पहचान लूंगा।

प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा कि पुलिस ने किसी बदमाश का पहचान नहीं कराया था। मैंने किसी बदमाश का नाम नहीं बताया था।

अभियोजन साक्षी सं.–7 देव नारायण राम हैं। इनका परीक्षण दिनांक–17.8. 2009 को किया गया। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना आज से चार साल पहले की है, उस दिन विधानसभा चुनाव था। मैं वोट डालने धकजरी बूथ पर गया था। मैं वोट गिराकर चला आया। बाद में सुना कि बूथ पर हल्ला हो गया। मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन साक्षी सं.–8 मो. ओहाब है। इनका परीक्षण दिनांक–25.10.2011 को किया गया। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 2005 के चुनाव के दिन की यह घटना लगभग 5.00 बजे सायंकाल की है। उस समय मैं धकजरी बुथ पर था तो थाना प्रभारी एवं पब्लिक में झगड़ा हुआ। पब्लिक के तरफ से ईटा, पत्थर चल रहा था तो हम लोग स्कूल के अंदर चले गए। एक सिपाही गोली चलाया तो दो आदमी मारे गये। मुदालह को नहीं पहचानता हूं।

अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने बहस के दौरान कहते हैं कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल 08 साक्षीयों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें किसी ने भी घ ाटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा रामेश्वर तिवारी जिसका सर्वीस रिवाल्वर अभियुक्त के द्वारा छीने जाने की बात कही जाती हैं एवं अनुसंधानकर्ता जिन्होंने इस केस का अनुसंधान कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया है, इन दोनों का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया जबकि इनका साक्ष्य अभियोजन केस को साबित करने के लिए अति आवश्यक था। अतएव अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को साबित नहीं करता है। अतः

अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभियोजन द्वारा इनके कथन का विरोध करते हुए कहते हैं कि आरोप पत्र के कुल 15 में से 8 साक्षीयों का साक्ष्य इस केस में कराया गया है, जिन्होंने घटना का समर्थन किया है। बचे सभी साक्षी सरकारी सेवक हैं एवं केस 20 वर्ष से अधिक पूराना होने के कारण यह सभी सेवानिवृत एवं कुछ मृत्यु को प्राप्त हो चूके हैं जिसके कारण इनकी गवाही नहीं कराई जा सकती है, लेकिन उपस्थित सभी साक्षीयों एवं सूचक ने घटना का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है एवं इस अभियुक्त के विरूद्ध आरोपीत सभी धाराओं में दोषी कराए किए जाने हेतु प्रयाप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः इन्हें दोष सिद्ध किया जाय।

<u>मन्तव्य</u>

12. उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन किया। परिशीलन से विदित है कि यह घटना दिनांक–15.02.2005 की है। सूचक

घुरन महतो तिमिर जो कि लेखा लिपिक थे एवं कोपरिया प्रमंडल में होने वाले विधान सभा चुनाव के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किए गए थे। पोलिंग एजेंट के द्वारा बोगस मतदान कराये जाने को लेकर इन्होंने विरोध किया एवं अपने वरीय पदाधिकारी को भी अवगत कराया। इनका आगे कथन है कि 02 लड़को ने चौकीदार मनोज तांती को जबर्दस्ती पकड़कर मारपीट किया आर उसे बंधक बनाया। मतदान केंद्र पर ई.भी.एम. मशीन को भी हाथ लगाने की कोशिश की। अभियुक्तगण महिला मतदाता एवं एस.सी/एस.टी. के मतदाताओं को धमकी देकर मतदान करने से रोक रहे थे। जिसका विरोध करने पर नामित अभियुक्तगण द्वारा पुलिस बल के उपर मारपीट, ईटा, पत्थर से हमला किया गया एवं गोली भी चलाया जिससे मतदान केंद्र में काफी हड़कम्प मच गया जिससे काफी लोग जख्मी भी हो गए साथ ही आम जनता एवं पुलिस दल भी जख्मी हुए। पुलिस बल के द्वारा भी जबाबी फायरिंग किया गया। बढ़ते हुए तनाव को देखकर पोलिंग एजेंट भी भीड़ में शामिल हो गए। उसमें से उक्त नामित अभियुक्त गजेंद्र यादव द्वारा ही पुलिस पदाधिकारी का सर्विस रिवाल्वर छिन लिया गया जिसे तेजी से पुलिस पदाधिकारी द्वारा गजेंद्र यादव से छिनकर अपने पास ले लिया गया। उपद्रवियों में गजेंद्र यादव की पहचान की गयी। विचारण के दौरान सूचक अभियोजन साक्षी संख्या–2 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अपने प्राथमिकी का समर्थन किया है एवं स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त गजेंद्र यादव द्वारा ही पुलिस पदाधिकारी का रिवाल्वर छिना गया था जिसे यह देखकर पहचानने का दावा करते हैं। ये अपने संपूर्ण लिखित कथन की पहचान करते है जिसे प्रदर्श–1 अंकित किया गया। ये अपने प्रति परीक्षण में भी कहते हैं कि थाना प्रभारी को सिर

पर चोट लगी थी एवं दोनों तरफ से गोली चली थी। आगे कहते हैं कि गजेंद्र यादव से कोई व्यक्तिगत जान पहचान नहीं है।

सूचक द्वारा दिए गए साक्ष्य के समर्थन में साक्षी संख्या–3 मनोज तांती जो कि चौकीदार है एवं कथित घटना के क्रम में भी इन्हें चोट पहुंचायी गयी। ये अपने मुख्य परीक्षण में सूचक के कथन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि गजेंद्र यादव ने मेरे साथ भी लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट किया एवं बड़ा बाबु का रिवाल्वर छिन लिया जो कि काफी प्रयास के बाद पुनः वापस लिया गया। आगे प्रति परीक्षण में कहते हैं कि अनिल यादव, गजेंद्र यादव मेरे ग्रामीण हैं और थाना प्रभारी का नाम रामेश्वर तिवारी था।

अभियोजन साक्षी संख्या–4. राजेंद्र साह जो कि घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित थे, इन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि भीड़ द्वारा रोड़ा–पत्थर एवं गोली चलाया गया जिसके जबाब में सशस्त्र बल द्वारा भी गोली चलाया गया जिससे सशस्त्र बल को भी काफी चोटे आयी। मैंने भी 02 गोली फायर किया था। आगे प्रति परीक्षण में कहते हैं कि मैंने के समक्ष अपने बयान में कहा था कि मैं हमलावरों में से किसी को नहीं पहचान सकता हूं। वहीं अभियोजन साक्षी संख्या–5. गजेंद्र प्रसाद यादव जो कि गृह रक्षक है जो कि पेट्रोलिंग डयूटी में शामिल थे। इन्होंने अपने परीक्षण में कहा है कि विडियो साहब और थाना प्रभारी ने हल्ला शांत कराना चाहा लेकिन बदमाशों ने दरोगाजी का सर्विस रिवॉल्वर छिन लिया। आगे कहते हैं कि इनके साथ साथ डोमी साव एवं हवलदार को भी रोड़ा से चोट लगी थी। मैंने किसी मुदालह का नाम दरोगाजी को नहीं बताया था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सं.–7 देव नारायण राम एवं अभियोजन साक्षी संख्या–8 मो. बहाव द्वारा भी घटना होने की बात बताया गया लेकिन किसी भी अभियुक्त के बारे में कोई पहचान नहीं की गयी। इन दोनों को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही भी घोषित किया गया। हालांकि इन सभी अभियोजन साक्ष्यों में घटना होने की बात को स्वीकार किया है लेकिन घटना कारित किसके द्वारा की गई इस संदर्भ में इनका साक्ष्य अस्पष्ट एवं कहीं कहीं पर गौण है। इन सब के होते हुए भी सूचक एवं प्रस्तुत अन्य साक्ष्यीयों ने घटना का पूर्ण रूपेन समर्थन किया है एवं उपस्थित अभियुक्त गजेंद्र यादव द्वारा ही घटना कारित की गई इस बात की पुष्टी की है। जहां तक अनुसंधानकर्ता एवं रामेश्वर तिवारी जिनका सर्विस रिवॉल्वर अभियुक्त द्वारा छिनने की बात कही गई है, उनकी गवाही नहीं कराने का युक्तियुक्त कारण विद्वान अभियोजन द्वारा दिया गया एवं अभिलेख पर भी उपलब्ध है। अतएव उक्त साक्षीयों का साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं होने से इस केस की प्रकृति में कोई अवरोद्ध उत्पन्न नहीं होता है। प्रस्तुत अभियोजन साक्षीगण घटना स्थल पर घटना की तिथि एवं समय में उपस्थित थे एवं यह सभी लोक सेवक थे एवं चुनाव आयोग की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्त किए गये थे। इनका पूर्व से कोई दुश्मनी अभियुक्त के साथ थी जिसके कारण इन्हें इस केस में फंसाया गया ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर बचाव पक्ष के द्वारा नहीं लाया गया है, ना ही ऐसा कोई कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट हो कि इन्हें किसी दुश्मनी अथवा अनावश्यक रूप से परेशान करने के उद्देश्य से इस केस में फंसाया गया है। जबकि प्रस्तुत सभी साक्षीयों ने घटना की तिथि, समय एवं स्थान पर कथित घटना कारित होने की बात एक मत से दोहराई है साथ ही साक्षी सं0–2 (सूचक), 3, 4, एवं 5 ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित किए जाने की बात कही है एवं इनके द्वारा ही पुलिस पदाधिकारी का सर्विस रिवॉल्वर छिनने की बात का समर्थन किया गया

है। हालांकि साक्षी सं0–6 ने भी दरोगा जी के रिवॉल्वर छिने जाने की बात का समर्थन किया है। इन सभी साक्षीयों के साक्ष्य में एकरूपता एवं अखंडता है।

प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपीत धाराओं के अनुसार मंतव्य निम्नवत् हैं:–

भा0द0वि0 की धारा 307 का प्रश्न है इस संदर्भ में प्रस्तुत साक्षीयों के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गई है ना ही ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई जख्म सूचक अथवना किसी अन्य के विरूद्ध कारित की गई है। जिससे यह संभाव्य हो कि उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अभियोजन द्वारा चिकित्सीय विशेषज्ञ जिन्होंने जख्मीयों का जख्म प्रतिवेदन तैयार किया है उन्हें न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही जख्म प्रतिवेदन की पहचान कर प्रदर्श अंकित किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध जप्ती सूची जिसे घटना स्थल पर जप्त किए गए रायफल की 15 गोली का खोखा, रिवॉल्वर की गोली का खोखा, रायफल एवं अन्य हथियार का बनाया गया है जिसे किसी भी साक्षी द्वारा पहचान नहीं कराया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 307 के आरोप की परिपुष्टी नहीं करती है।

यहां तक धारा 3(1)x अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत आरोपित अपराध का प्रश्न है इस संदर्भ में प्रस्तुत साक्षीयों का साक्ष्य अस्पष्ट एवं गौण है। इस केस के सूचक अथवा जख्मी/पीड़ीत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य हैं या नहीं इसका कोई स्पष्ट प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है ना ही अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपकृत्य किया गया प्रतिलक्षित है जिससे यह साबित हो कि इनके द्वारा लोक दृश्य में आने वाले स्थान पर किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के उद्देश्य से जाति सूचक शब्द/गाली का प्रयोग करते हुए हानी पहूंचाने की कोशीश की गई हो। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम धारा 3(1)x के आरोप की परिपुष्टी नहीं करती है।

13. **<u>भा0दं0वि0 की धारा–147, 353, 341, 323 और 337</u>**

जहॉ तक धारा–**<u>147, 353, 341, 323 और 337</u>** भा0दं0सं0 का प्रश्न है इस संदर्भ में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें सूचक एवं अन्य जख्मी भी हैं इन्होंने अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी जिस समय वह अपनी कर्तव्य के अनुपालन में विधानसभा चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर एवं उसकी सुरक्षा एवं तैनाती में उपस्थित पुलिस बल एवं अधिकारीगण के रूप में घटना स्थल पर कार्यरत थे तभी उनके साथ मारपीट किया गया निष्पक्ष चुनाव कराने में अवरोद्ध पैदा किया गया ताकि ईंटा–पत्थर एवं गोली–बारी कर इन सभी को आहत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों ने उक्त घटना के संबंध में समर्थन किया है लेकिन अभियुक्त के साथ कितनी संख्या में अन्य लोग थे इसका स्पष्ट प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध धारा– **147** के आरोप की परिपुष्टी नहीं करती है लेकिन अन्य धारा– **353, 341, 323 और 337** भा0दं0सं0 को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे हैं।

14. उपर्युक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्को तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन अभियुक्त **गजेंद्र यादव** के विरूद्ध धारा–**147, 307 भा0दं0वि0 तथा धारा 3(1)x** अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के आरोप को सभी युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहे हैं। लेकिन अभियुक्त **गजेंद्र यादव** के विरूद्ध **धारा– 353, 341, 323 और 337 भा0दं0सं0** के आरोप को सभी युक्ति युक्त संदेह की परीधि से परे साबित करने में सफल रहे हैं।

<u>आदेश</u>

15. अतः अभियुक्त **गजेंद्र यादव** को धारा–**147, 307 भा0दं0वि0 तथा धारा 3(1)x** अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं **धारा– 353, 341, 323 और 337 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत अभियुक्त **गजेंद्र यादव**, को दोषी पाते हुए इनका बंध पत्र खण्डित किया जाता है एवं इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। सजा के विन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक– 17.03.2026 को निश्चित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
ह0/–
(रंजुला भारती)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
12.03.2026

लेखापित
ह0/–
(रंजुला भारती)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
12.03.2026

सजा के बिन्दु पर सुनवाई

17.03.2026 सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पुकार किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं दोषसिद्ध अभियुक्त को कारा से प्रस्तुत किया गया। सजा के बिन्दु पर दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि दोषसिद्ध अभियुक्त की यह पहली गलती है, इनके अलावे उनके परिवार में अन्य कोई सदस्य उनकी परिवार की देखरेख करने वाला नहीं है। दोषसिद्ध अभियुक्त काफी दिनों करीब 21 वर्षों से विचारण का सामना करते आ रहे हैं तथा ये पूर्व में भी कारा में संसीमित रहे हैं, अतएव उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कारा में बिताये गये अवधि की ही सजा दी जाय।

इसके विपरीत विद्वान अभियोजन की ओर से कथन किया गया कि दोषसिद्ध अभियुक्त के विरूद्ध साबित अपराध एक गंभीर प्रकृति का अपराध है अतः दोषसिद्ध अभियुक्त को कठोर सजा दी जाय।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से विदित होता है कि दोषसिद्ध अभियुक्त गजेंद्र यादव को धारा– 353, 341, 323 और 337 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषी पाया गया है। इनके द्वारा चुनाव ड्यूटी में उपस्थित पदाधिकारीगण के साथ अपराध किया गया है। जो कि पूर्व में ही यह अवधारित किया जा चुका है कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा कारित अपराध भा0दं0वि0 की धारा– 353, 341, 323 और 337 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आता है ऐसी स्थिति में अभियुक्त को सारगभित सजा से दण्डित किया जाना ही उचित होगा। तद्नुसार दोषसिद्ध अभियुक्त गजेंद्र यादव को धारा–353 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 4 माह 10 दिन की साधारण कारावास की सजा, धारा–341 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 1 माह साधारण कारावास, धारा–323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 2 माह की साधारण कारावास की सजा एवं धारा–337 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 3 माह की साधारण कारावास की सजा दी जाती है। सभी सजायें साथ साथ चलेगी एवं पूर्व में कारा में बितायी गयी अवधि को इस सजा की अवधि में दं0प्र0सं0 की धारा–428 के तहत समायोजित किया जायेगा।

कार्यालय निर्णय की प्रति अभियुक्त को कारा के माध्यम से अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता को प्राप्त करावें एवं दोषसिद्धि अधिपत्र निर्गत करें साथ ही निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी को भेजें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
ह0/–
(रंजुला भारती)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
17.03.2026

लेखापित
ह0/–
(रंजुला भारती)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
17.03.2026

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विशेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)
p.w.-1	महेश्वरी राम	अन्य साक्षी
p.w.-2	घूरन महतो तिमिर	सूचक
p.w.-3	मनोज तांती	अन्य साक्षी
P.w.-4	राजेंद्र साह	अन्य साक्षी
P.w.-5	गजेंद्र प्रसाद यादव	अन्य साक्षी
P.w.-6	डोमी साह	अन्य साक्षी
P.w.-7	देव नारायण राम	अन्य साक्षी
P.w.-8	मो. ओहाब	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विशेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विशेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–1	सूचक द्वारा लिखा गया प्राथमिकी

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ह0/–
(रंजुला भारती)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
17.03.2026